

# ORDER SHEET 529-2015Rct

THECOURT-----

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
28-11-16	<p>राज्य द्वारा एडीपीओउप0</p> <p>आरोपी अनिल अनुपस्थित ।</p> <p>शेष आरोपीगण सहित अधि0श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप0 अनुपस्थित आरोपी अनिल की ओर से उसके अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा हाजरी माफी आवेदन 317 द0प्र0स0 का प्रस्तुत किया जो वाद विचार स्वीकार किया जाकर द्वारा अधिवक्ता हाजरी मान्य की गई ।</p> <p>प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।</p> <p>आज दिनांक को फरियादी उर्मिला उप0 है ।</p> <p>इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यमसे कराना चाहते है आज दिनांक को फरियादी श्रीमती उर्मिला उपस्थित है एवं उसके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहती है । चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में भेजा जाता है । इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे ।</p> <p>उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता हैकि प्रशिक्षित मीडिएटर न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी, श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में उप0हो ।</p> <p>प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो ।</p> <p>जे0एम0एफ0सी0</p> <p>पुनश्च—</p> <p>पक्षकार पूर्ववत</p> <p>मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया गया ।</p> <p>इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा द0प्र0स0की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया । फरियादी उर्मिला की पहचान अधि0श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा की गई है ।</p> <p>राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का</p>	

	<p>अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी गिरीश के विरुद्ध भादस की धारा 29,323 एवं 506 भाग-2 एवं आरोपीगण जितेन्द्र एवं अनिल के विरुद्ध भादस की धारा 294,323/34 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है। उक्त धाराये न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी उर्मिला ने आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारो के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी गिरीश को भादस की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 एवं आरोपी अनिल एवं जितेन्द्र को भादस की धारा 294,323/34 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अनु0 आरोपी अनिल की दोषमुक्ति की सूचना उसके अधिवक्ता को प्रदान की गई।</p> <p>आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये।</p> <p>प्रकरण मे जप्तशुदा वांस का डंडा मूल्यहीन होने से तोड़तोड़ कर नष्ट किया जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही / - (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे0एम0एफ0सी0गोहद जिला भिण्ड म0प्र0</p>	